न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 65/2026

(GCMS: 2026/96)

राज्य सरकार जरिये अभिमन्यु गोदारा, कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक, श्रीगंगानगर

बनाम

इण्डियन पोटाश लिमिटेड, जी–76, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री अभिमन्यु गोदारा, कृषि अधिकारी, उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक, श्रीगंगानगर उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि श्री अभिमन्यु गोदारा ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लंघन पाये जाने पर गोदाम जी–76, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ में भण्डारित Di-hydrate Polyhalite बैंक नम्बर IPL/DP/KDP/2024/745 के 2000 बैग प्रत्येक बैग 25 किलो कुल मात्रा 50 टन उनके द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 28 1(डी) के तहत भण्डारित स्थल पर ही अलग से मौका पर्चा, मौका नक्शा, शपथ पत्र, फर्द जब्ती, सुपुर्दगी पत्र तैयार करते हुए, अमानक उर्वरक Di-hydrate Polyhalite को जब्त किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अमानक उर्वरक Di-hydrate Polyhalite को जब्त करने के पश्चात अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी ने कार्यालय अति. नि. कृ.(वि) खण्ड, श्रीगंगानगर में पुनः विश्लेषण हेतु अपील की गई। जिस पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानुसार अमानक उर्वरक नमूने के द्वितीय भाग को पुनः विश्लेषण हेतु कार्यालय अति. निदे. कृ. (वि) खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा राष्ट्रीय एवं परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि पुनः विश्लेषण उपरान्त कार्यालय अति. निदे. कृ. (वि.), श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 4428–29 दिनांक 06.10.2025 से उक्त नमूना द्वितीय परीक्षण में पुनः विश्लेषण में मानक पाया गया। इसलिए उन्होनें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीजशुदा Di-hydrate Polyhalite कुल 50 टन मात्रा को पुनः विश्लेषण में मानक पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए(2) में जब्ती से मुक्त करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 65 / 2026
सरकार बनाम इण्डियन पोटाश लिमिटेड

मैनें, **विभागीय प्रतिनिधि** के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा 6ए के अन्तर्गत सीजशुदा Di-hydrate Polyhalite कुल 50 टन मात्रा को द्वितीय विश्लेषण में मानक पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा 6ए(2) में जब्ती से मुक्त करने की प्रार्थना करने पर, इस कार्यालय के पत्रांक 4056 दिनांक **16.12.2025 द्वारा सीजशुदा Di-hydrate Polyhalite के तृतीय विश्लेषण हेतु उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी को लिखा** गया था। जिस पर उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 21 दिनांक 06.04.2026 से अवगत करवाया कि राजपत्र संख्या 4984 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकता की उर्वरक के **द्वितीय भाग की पुनः विश्लेषण रिपोर्ट अंतिम मानते हुए तृतीय विश्लेषण नहीं करवाया जा सकता,** इसलिए जब्तशुदा 50 टन Di-hydrate Polyhalite को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) में जब्ती से मुक्त करने की प्रार्थना की है।

जहां तक सीजशुदा Di-hydrate Polyhalite को मुक्त करने का प्रश्न है। उर्वरक निरीक्षण एवं कृषि अधिकारी उद्यान की रिपोर्ट दिनांक 06.04.2026 के अनुसार तृतीय विश्लेषण नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए जब्तशुदा Di-hydrate Polyhalite को मुक्त कर, सम्बन्धित को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर **को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा** 50 टन Di-hydrate Polyhalite **की अगर किसी अन्य प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय/अथोरिटी(Authority) को आवश्यकता न हो तो उक्त जब्तुशुदा** 50 टन Di-hydrate Polyhalite **को उसके स्वामी लौटा दिया जावे। आदेश की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं** कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। **प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब़ तक़मील दाखिल दफ्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:46 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर